न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कंचन राठौड़, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 294/2022
जीसीएमएस नं. :– 2022/408

–: प्रार्थीगण :–
लिछमणराम उर्फ लक्ष्मणराम पुत्र मिसाराम जाति माली निवासी उचियाड़ा बेरा, पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–
1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर ।
2. शाखा प्रबन्धक, यूको बैंक, पीपाड़ शहर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :
श्री निर्मल कटारिया अधिवक्ता प्रार्थीगण।

दर्ज तारीख :– 14.11.2022

आदेश

दिनांक : 21.06.2023

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी सुदा कब्जासुदा तरमीमसुदा भूमि ग्राम पीपाड़ शहर पटवार हल्का पीपाड़ शहर भू.अ. नि. पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 1243/3 रकबा 0.4935 हैक्टयर किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि हैं। जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त हैं तथा अपने उपयोग उपभोग में लेता आ रहा हैं उक्त भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा । प्रार्थी की कृषि भूमि राजस्व नक्शे में तरमीमसुदा भूमि हैं प्रार्थी अपनी वादग्रस्त आराजी पर शांतिपूर्ण काबिज कारत है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1243/3 की हल्का पटवारी पीपाड़ शहर द्वारा मौका निरीक्षण कर दिनांक 30.05.2022 को सीमाज्ञान किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थी अब अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1243 / 3 की पत्थरगढी करवाना चाहता हैं ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं हों लेकिन श्रीमान न्यायालय के आदेश के बिना उक्त कानूनी कार्यवाही संभव नहीं हैं। प्रार्थी को अपनी खातेदारी सुदा कब्जासुदा तरमीमसुदा भूमि की पत्थरगडी करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को पत्थरगढी के लिए दिनांक 11.11.2022 को निवेदन किया गया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बताया गया कि इसके लिए वह सक्षम नहीं हैं व सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर पत्थरगढी करने का आदेश लाने की बात कही गई जिस पर उक्त प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करने हेतु श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा हैं। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी पर सुनवाई करने का श्रीमान न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार हैं। प्रार्थी की इस्तदुआ इस प्रकार हैं कि – ग्राम पीपाड़ शहर पटवार क्षैत्र पीपाड़ शहर भू.अ.नि.क्षैत्र पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपरु की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नम्बर 1243/3 रकबा 0.4935 हैक्टयर किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 1 को चारो ओर मुटाम कायम कर पत्थरगढ़ी करने का आदेश फरमाया जावें व विवाद होने पर मौके पर जरूरत पड़ने पर पुलिस इमदाद सहित सीमांकन व पत्थरगढ़ी करने के आदेश फरमाये जावें। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के पक्ष में अता फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। अप्रार्थी सं. 1 का सम्मन बाद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं. 2 शाखा प्रबन्धक युको बैंक पीपाड़ शहर स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया है कि इस खसरे पर हमारे खाताधारक पत्थरगढ़ी करवाता है तो बैंक को कोई आपति नही हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 1243/3 रकबा 0.4935 हैक्टयर किस्म बारानी चतुर्थ की पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान कराये जाने का भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया हैं एवं अप्रार्थी सं. 2 स्वयं ने इस सम्बन्ध में अनापति जाहिर की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर यह प्रतीत होता हैं कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुदा, तरमीमसुदा भूमि हैं। वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी खातेदार काश्तकार हैं। इसलिये वादग्रस्त आराजी का नाप चौप करवाकर पत्थरगढ़ी करवायी जानी न्यायसंगत हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 1243/3 रकबा 0.4950 हैक्टयर भूमि का टीम गठित कर नापचौप एवं सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान के सीमा कायम करते हुए पैमाईश करवाकर पत्थरगढ़ी करावें। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें। तहरीर जारी हो, बाद पैमाईश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।

(कंचनु राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 21.06.2023 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया ।

(कंचनु राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर